न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)
पीठासीन अधिकारी :– श्री कपिल कुमार (आर.ए.एस.)

अपील संख्या	जीसीएमएस संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
02 / 2025	2025 / 58	08.01.2025	29.07.2025

उनवान

श्रवण देवी पत्नि श्री हरिराम, जाति जाट, निवासी तुलसीपुरा, तहसील पावटा, जिला कोटपूतली–बहरोड, राजस्थान। **अपीलान्ट**

बनाम

1 ग्राम पंचायत तुलसीपुरा जरिये सरपंच / सचिव ग्राम पंचायत तुलसीपुरा, तहसील पावटा, जिला कोटपूतली–बहरोड, राजस्थान

2– राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार पावटा, जिला कोटपूतली–बहरोड, राजस्थान

3– रामकरण पुत्र सेडू, जाति जाट, निवासी तुलसीपुरा, तहसील पावटा, जिला कोटपूतली–बहरोड, राजस्थान **रेस्पोडेन्टगण**

प्रथम राजस्व अपील विरूद्ध आदेश ग्राम पंचायत तुलसीपुरा, बाबत नामान्तकरण संख्या 1120 दिनांक 16–12–2024 ग्राम तुलसीपुरा, आराजी खसरा नम्बर 2824 / 0.39, 2836 / 0.29, 2838 / 0.26, 2839 / 0.32, 2538 / 0.36, 2641 / 0.43, 2835 / 0.29 हैक्टेयर वाके मौजा तुलसीपुरा, तहसील पावटा, जिला कोटपूतली–बहरोड, राजस्थान

निर्णय दि. 29.07.2025

1. अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता श्री नरेश कुमार यादव द्वारा प्रस्तुत अपील संक्षेप मे इस प्रकार हैं कि आराजी खसरा नम्बर 2824 / 0.39, 2836 / 0.29, 2838 / 0. 26, 2839 / 0.32, 2538 / 0.36, 2641 / 0.43, 2835 / 0.29 हैक्टेयर वाके मौजा तुलसीपुरा, तहसील पावटा, जिला कोटपूतली–बहरोड, राजस्थान में स्थित है। उक्त आराजीयात के हिस्सा 1 / 8 का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार रेस्पोडेण्ट संख्या 3 है जिसने अपने सम्पूर्ण हिस्सा 1 / 8 का रजिस्टर्ड दान पत्र दिनांकित 29–11–2024 को अपीलाण्ट के हक में कर दिया था तथा दान पत्र के रोज से अपीलाण्ट अपने हिस्सा 1 / 8 पर काबिज काश्त करती चली आ रही है तथा आज भी मौके पर काबिज काश्त है। अपीलाण्ट के हक में दान पत्र होने के बाद अपीलाण्ट ने दान पत्र के आधार पर अपना नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने हेतु राजस्व कर्मचारियो को रजिस्टर्ड दान पत्र की नकल दे दी थी जिस पर राजस्व कर्मचारियो ने नामान्तकरण संख्या 1120 दिनांक 16–12–2024 दर्ज कर ग्राम पंचायत तुलसीपुरा के समक्ष पेश कर दिया था जिस पर ग्राम पंचायत तुलसीपुरा द्वारा सहवन से बिना कोई कार्यवाही किये बिना किसी आधार के उक्त नामान्तकरण संख्या 1120 को अस्वीकृत कर दिया ।

2. अपीलाण्ट ने जब हाल जमाबन्दी की नकल ली तो अपीलाण्ट को पता चला कि ग्राम पचांयत तुलसीपुरा द्वारा अपीलाण्ट के नाम खोले गये नामान्तकरण संख्या 1120 को अस्वीकृत कर दिया गया है तथा अपीलाण्ट के नाम नामान्तकरण नही खुला है जिस पर अपीलाण्ट ने ग्राम पंचायत तुलसीपुरा के सरपंच / सचिव व राजस्व कर्मचारियो को नामान्तकरण अपीलाण्ट के हक में दर्ज करने हेतु कहा तो सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करने हेतु कहा गया।

उपखण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

3. इसलिये अपीलाण्ट द्वारा उक्त अपील माननीय न्यायालय में पेश की जा रही है। अपील अन्दर मियाद पेश है। अपील उचित कोर्ट फीस पर पेश है। माननीय न्यायालय को अपील सुनने व तैय करने का अधिकार है ।
4. अतः अपील पेश कर निवेदन है कि नामान्तकरण संख्या 1120 दिनांकित 16–12–2024 ग्राम तुलसीपुरा, तस्दीक ग्राम पंचायत तुलसीपुरा को स्वीकार फरमाया जाकर आराजी खसरा नम्बर 2824/0.39, 2836/0.29, 2838/0.26, 2839/0.32, 2538/0.36, 2641/0.43, 2835/0.29 हैक्टेयर वाके मौजा तुलसीपुरा, तहसील पावटा, जिला कोटपूतली–बहरोड, राजस्थान के राजस्व रिकार्ड से रेस्पोडेण्ट संख्या 3 का नाम हिस्सा 1/8 से कलमजन किया जाकर अपीलाण्ट के नाम हिस्सा 1/8 दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें ।

5. अपीलान्ट के द्वारा अपील पेश होने पर रिपोर्ट सरिस्ता ली जाकर अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेण्टगण को जरिये नोटिस सूचित कर विधिवत तामिल करवायी गयी तथा दिनांक 28.04.2025 रेस्पोडेण्ट सं. 01 एवं 03 की विधिवत तामिल होने के बावजूद अनुस्थित रहने के कारण इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। रेस्पोडेण्ट सं. 02 पैरोकार सरकार तहसीलदार पावटा से जवाब तल्ब किया गया जो शामिल पत्रावली किया। परोकार सरकार से प्राप्त जवाब निम्नानुसार है कि जिम्मन नम्बर 01 में वर्णित तथ्य राजस्व रिकार्ड के तथ्य स्वीकार है, जिम्मन नंबर 02 स्वीकार है। पटवारी हल्का द्वारा दान पत्र के आधार पर नामान्तकरण संख्या 1120 मौजा तुलसीपुरा दर्ज कर अपनी टिप्पणी में अंकित किया कि दानकर्ता द्वारा अपनी पैतृक भूमि का दान किया है जांच उपरान्त नामान्तकरण उचित निर्णय हेतू पेश है। ग्राम पंचायत द्वारा उक्त नामान्तकरण सं. 1120 मौजा तुलसीपुरा को निरस्त कर दिया गया निरस्त किये जाने के कारणों का उल्लेख ग्राम पंचायत द्वारा अपने निर्णय में अंकन नही किया गया है। प्रकरण में वकील अपीलान्ट की बहस सुनी गई । वकील अपीलान्ट ने अपील को स्वीकार कर तहसीलदार पावटा को रिमाण्ड करने हेतू निवेदन किया।

6. हमने वकील अपीलान्ट की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रकरण में पाया गया कि नामान्तकरण संख्या 1120 दिनांकित 16.12.2024 ग्राम तुलसीपुरा, तस्दीक ग्राम पंचायत तुलसीपुरा को स्वीकार फरमाया जाकर आराजी हाल खसरा नम्बर 2824/0.39, 2836/0.29, 2838/0.26, 2839/0.32, 2538/0.36, 2641/0.43, 2835/0.29 हैक्टेयर वाके मौजा तुलसीपुरा, तहसील पावटा के राजस्व रिकार्ड से रेस्पोडेण्ट संख्या 3 का नाम हिस्सा 1/8 से कलमजन किया जाकर अपीलाण्ट के नाम हिस्सा 1/8 दर्ज किये जाने के आदेश को अस्वीकृत किया गया था जिसे निरस्त किये जाने के आदेश दिया जाना न्यायोचित व न्यायंसगत है क्योंकि ग्राम पंचायत द्वारा अपने निर्णय में नामान्तकरण को अस्वीकार/खारिज करने का कोई कारण वर्णित/उल्लेखित नही किया है जिससे अस्वीकार करने के कारणों का पता चल सके।

उपखण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

7. अतः अपीलान्टगण की अपील स्वीकार की जाती है कि अपील विरूद्ध आदेश ग्राम पंचायत तुलसीपुरा के नामान्तकरण संख्या 1120 दिनांकित 16.12.2024 को रिमाण्ड किया जाकर तहसीलदार पावटा को आदेशित किया जाता है कि हाल आराजी खसरा नम्बर 2824/0.39, 2836/0.29, 2838/0.26, 2839/0.32, 2538/0.36, 2641/0.43, 2835/0.29 हैक्टेयर वाके मौजा तुलसीपुरा, तहसील पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड़ में रजिस्टर्ड दान पत्र दिनांकित 29.11.2024 (दानदाता रामकरण पुत्र सेडू तथा दानग्रहिता श्रवण देवी) की जांच कर नियमानुसार नामान्तकरण की कार्यवाही करवावे। तदानुसार आदेश जारी हो ।

निर्णय आज दिनांक 29.07.2025 को सरै इजलास सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(कपिल कुमार, RAS)
उप खण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

उपखण्ड अधिकारी
पावटा (जिला–कोटपूतली बहरोड़)